भारत सरकार

संचार मंत्रालय

दूरसंचार विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1806

उत्तर देने की तारीख 29 जुलाई 2026

विद्या मित्रम योजना

1806. श्री अरविंद गणपत सावंत:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बीएसएनएल की 'विद्या मित्रम योजना' के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने चॉलों, झुग्गी-वस्तियों तथा दूरस्थ गांवों में रहने वाले गरीब विद्यार्थियों को सीधे फाइवर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन उपलब्ध कराने में आने वाली संभारतंत्र संबंधी (लॉजिस्टिक) तथा वित्तीय चुनौतियों की ओर ध्यान दिया है;

(ग) क्या सरकार का सभी नगर निगम (जैसे एमसीजीएम) तथा जिला परिषद के विद्यालयों को प्रतिभाशाली एवं वंचित विद्यार्थियों के लिए समान डिजिटल सुविधा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नि:शुल्क अथवा रियायती दरों पर एफटीटीएच कनेक्शन उपलब्ध कराने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) बीएसएनएल ने उन परोपकारी व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह के लिए अखिल भारतीय आधार पर विद्या मित्रम योजना 31.10.2024 से लागू की है, जो वंचित और असाधारण छात्रों को प्रेरणा और समाजिक जिम्मेदारी के रूप में बंडल्ड एफटीटीएच कनेक्शन प्रयोजित करना चाहते है। कनेक्शनों की संस्थापना प्रायोजक द्वारा प्रदान किए गए वंचित और असाधारण छात्रों के पते पर की जाती है।

(ग) और (घ) संशोधित भारतनेट कार्यक्रम के अंतर्गत, सरकार ने स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, आंगनवाड़ियों और पंचायत कार्यालयों सहित सरकारी संस्थानों को कवर करने के लिए प्राधमिकता के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण एफटीटीएच कनेक्शन का प्रावधान किया है।
